

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के अधीन आम जनता और कर्जदारों/गारंटीदाताओं के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और निर्माकित कर्जदार (रॉ)/गारंटीदाताओं को प्रतिभूत आसितियों के कब्जे के अनुपालन में, संबंधित कर्जदारों/गारंटीदाताओं, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिभूतियों, जैसा भी मामला हो, सहित आम जनता तथा सभी संबंधितों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सूचीबद्ध सम्पत्तियों को खरीद हेतु बैंक द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। जैसाकि बैंक सहित आम जनता तथा सभी संबंधितों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सूचीबद्ध सम्पत्तियों को खरीद हेतु बैंक द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। जैसाकि बैंक से प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग के बाद सार्वजनिक नीलामी के जरिए कथित अधिनियम के नियम 8 व 9 के अधीन "जैसा है जहाँ है आधार" तथा "जैसा है जो है" आधार पर निम्नवर्णित सम्पत्तियों को बेचने तथा कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन निर्माकित सम्पत्तियों का कब्जा लेने का निर्णय लिया है। नीलामी निम्न अनुसूची के कॉलम नं. 5 में दी गई तिथि व स्थान पर पूर्वा. 11.00 बजे सम्पन्न होगी।

कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी के नाम में स्टेटिडिंग	न्यूनतम आरक्षित मूल्य एवं श्रेण राशि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	नीलामी की तिथि व समय
1	2	3	4	5
1. मैसर्स मिथि ट्रेडर प्रोप. गोपाल कुमार पता: मोहन एम्प्लू, पहाड़ी गार्डी, विगमपुर जिला: बेगूसराय शाखा: बेगूसराय मेन	सम्पत्ति का स्वामी- राधमी नारायण राव सुपुत्र छोटन राव, ग्राम: मोहन एम्प्लू पहाड़ी गार्डी विगमपुर जिला: बेगूसराय, डीडी नं.: 5888 डि: 05. 08.77, धाना नं.503, तौजी नं.1294, खाता नं.601, खेसरा नं.1882, परिचा-1 कट्टा 12 धूर, चौहद्दी- उत्तर: मोकीर अलेह एवं नरेश सिंह, दक्षिण: रास्ता एवं रामचन्द्र राव, पूर्व: मोकीर अलेह एवं शिवनाथ राव, पश्चिम: शिवनाथ राव एवं अलाव सिंह	आरक्षित मूल्य रु. 3073000/- बकाया राशि 1497772.00/- (लाभू लम्बित व्याज व खर्च)	रु. 3073000/-	बोली की तिथि: 14.12.2017 बोली का स्थान: यूको बैंक जोनल कार्यालय बेगूसराय
2. माँ छयन भोग प्रोप. सुरेश कुमार साह एवं गारंटीदाता: छोटी साह, पता: महावीर चौक स्टेशन रोड, धाना: दलसिंहसराय, जिला: समस्तीपुर शाखा: दलसिंहसराय	सम्पत्ति का स्वामी- श्री छोटी साह सुपुत्र स्व. वृधन साह, डीडी नं.: 3271 डि. 06.08.11, मौजा: अजनील, धाना नं. 77, तौजी-7853, खाता नं.476(पुराना), 391(नया) खेसरा नं. 1305, 1559(नया) परिचा-05 कट्टा 01 धूर चौहद्दी: उत्तर-नाला, दक्षिण- महावीर चौपरी व अन्य, पूर्व- महेश राव व अन्य, पश्चिम- मोकीर अलेह	आरक्षित मूल्य रु. 1907000/- बकाया राशि 819880.98/- (लाभू लम्बित व्याज व खर्च)	रु. 1907000/-	बोली की तिथि: 14.12.2017 बोली का स्थान: यूको बैंक जोनल कार्यालय बेगूसराय
3. श्री सुरेश प्रसाद सुपुत्र: श्री कालिदेव मेहता एवं श्री शिवाजी प्रसाद, ग्राम: प्राणपटी, डाकघर: राममनर, धाना: के नगर, जिला: पूर्णिया शाखा: राममनर, पूर्णिया	सम्पत्ति के स्वामी: श्री सुरेश प्रसाद सुपुत्र कालिदेव मेहता डीडी नं.: 10553 डि. 04.08.2009, ग्राम: प्राणपटी, डाकघर: राममनर, पूर्णिया, मौजा- कोहवा, धाना नं. 2, तौजी नं.- 201, खाता नं.- 344, खेसरा नं.- 1697 परिचा-20 डेमिसल, चौहद्दी-उत्तर-लखन मेहता, दक्षिण: कच्ची सड़क, पूर्व-चट्टी देवी, पश्चिम-निज	आरक्षित मूल्य रु. 1284000/- बकाया राशि रु. 1079355.00/- (लाभू लम्बित व्याज व खर्च)	रु. 1284000/-	बोली की तिथि: 14.12.2017 बोली का स्थान: यूको बैंक जोनल कार्यालय बेगूसराय
4. मैसर्स मोविन्द देवर हाऊस प्रोप. श्रीमती शान्ति देवी धर्मपत्नी सुरेश सिंह ग्राम -डाकघर: खहार, बेगूसराय जिला: बेगूसराय आईओसी टाऊनशिप, शाखा: बेगूसराय	सम्पत्ति के स्वामी: श्री अजय कुमार सिंह एवं गुलशन कुमार डीडी नं. 3134 डि. 27.04.09 मौजा-खमहार, धाना नं. 216, तौजी नं. 9147, खाता नं. 366, खेसरा नं. 3675, परिचा: 06 कट्टा, चौहद्दी: उत्तर-निज, दक्षिण- आनन्दी सिंह एवं खेलाचन सिंह, पूर्व: शंकर सिंह, दीपक कुमार, चन्दन कुमार, पश्चिम- रानीकांत सिंह एवं मुरारी सिंह	आरक्षित मूल्य रु. 5402000/- बकाया राशि रु. 2843550.00/- (लाभू लम्बित व्याज व खर्च)	रु. 5402000/-	बोली की तिथि: 14.12.2017 बोली का स्थान: यूको बैंक जोनल कार्यालय बेगूसराय

नियम एवं शर्तें:

- इच्छुक बोलीदाता को 13.12.2017 को अप. 1.00 बजे तक या उससे पूर्व बेगूसराय मेन ब्रांच (0239) पर देय यूको बैंक बेगूसराय मेन ब्रांच के पक्ष में पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपरोक्त कॉलम के अनुसार ईएमडी (मांग धरोहर राशि) जमा करनी होगी। कथित ईएमडी को उक्त वर्णित तिथि तक बोली प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। सफल बोलीदाता को ईएमडी को बोली रकम में समाविष्ट कर दिया जाएगा।
- बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, बिना कोई पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को किसी भी नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने/बिक्री को रद्द करने/आगे बढ़ाने, रद्द करने का वास्तविक अधिकार और विवेक रखते हैं।
- उक्त वर्णित सम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य (जो कॉलम 3 में वर्णित है) से कम में नहीं बेचा जाएगा। सभी सम्पत्तियों को एक बार में बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की पुष्टि पर सफल बोलीदाता को तुरंत उगी दिन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष बोली रकम का 25 प्रतिशत (ईएमडी शामिल) जमा करना होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और बिक्री पुनः संचालित की जाएगी। शेष 75 प्रतिशत रकम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की पुष्टि के 15 दिनों तक देय यूको बैंक, बेगूसराय मेन ब्रांच में देय यूको बैंक, बेगूसराय मेन ब्रांच के पक्ष में पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यूको बैंक, बेगूसराय मेन ब्रांच या बेगूसराय जोनल ऑफिस में जमा करना होगा।
- बोली में मांग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी रु. 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) या आरक्षित मूल्य से कम रु. 10000/- के वृद्धि करेगा और बोली हेतु प्रत्येक में रु. 10000/- को वृद्धि का अनुसरण करेगा।
- यदि सफल बोलीदाता 15 दिनों को निर्धारित अवांच के तहत बोली रकम का शेष 75 प्रतिशत जमा करने में देरी करते या असफल होते हैं तो जमा रकम यानी 25 प्रतिशत (ईएमडी शामिल) जब्त कर लिया जाएगा और बिक्री पुनः संचालित की जाएगी। असफल बोलीदाता को सम्पत्ति या सम्पत्ति को पुनः बिक्री रकम पर कोई भी अधिकार नहीं होगा।
- एएमएआरएफआईएसआई अधिनियम-2002 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में बैंक के प्राचर में बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पुष्टि के बाद और भुगतान के तहत को पूरा करने पर जारी कर दिया जाएगा।
- यह बिक्री एएमएआरएफआईएसआई अधिनियम 2002 के नियमों के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो कुछ है" आधार पर संचालित होगी और यह बैंक की पुष्टि पर निभर करेगा।
- इच्छुक बोलीदाता/गारंटीदाता बैंक के किसी भी कार्यालय को कार्यालय समय के दौरान कॉलम 1 में वर्णित संबंधित शाखा को लिखित आवेदन पर बिक्री हेतु रखी सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं और बोली प्रपत्र निम्न शाखाओं से प्राप्त कर सकते हैं: सम्पर्क व्यक्ति- श्री मिथिलेश झा (शाखा प्रमुख-बेगूसराय मेन ब्रांच) सम्पर्क नं.- 9431306436, सम्पर्क व्यक्ति- श्री अश्विका प्रसाद यादव (शाखा प्रमुख- चम्पानगर) सम्पर्क नं.-9801857469, सम्पर्क व्यक्ति: विकास शर्मा (शाखा प्रमुख- आईओसी टाऊनशिप) सम्पर्क नं. 9421103497, सम्पर्क व्यक्ति- नीरव कुमार (शाखा प्रमुख- दलसिंहसराय) सम्पर्क नं.-8876085421
- सफल बोलीदाता को सम्पत्ति हस्तांतरण, स्टाम्प द्यूटी, कच्चे से संबंधित पंजीकरण के सभी खर्च तथा कोई अन्य खर्च का वहन करना होगा। बैंक बिक्री की पुष्टि होने पर सफल बोलीदाता को संचालित करना उपलब्ध करेगा।
- बोलीदाताओं से आग्रह है कि वे उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क करें और पूर्व अनुमति लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण करें और बोली लगाने से पूर्व सभी लम्बित दावे, भार और सारकार का बकाया के विषय में संतुष्ट हो लें। बोली के दौरान या बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह बिक्री सूचना, बिक्री की तिथि तक पूर्ण रूप से अंगर लम्बित बकाये का भुगतान (सभी लम्बित व्यय, व्याज और जुल्क शामिल) नहीं होता है तो कॉलम 5 में वर्णित अनुसार तिथि एवं स्थान पर कॉलम 1 में वर्णित अनुसार कर्जदारों/गारंटीदाता को दी जाती है।

दिनांक: 10.11.2017

प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक, जोनल ऑफिस, बेगूसराय

कार्यालय कक्ष में होगा। बैंक ड्राफ्ट तथा नगद राशि जमा कराकर उस होगा। अधिकतम की नीलामी दी जा का 25% अथव होगा। नीलामी के सभा के अवधार प्राप्त की जा सव अवलोकन किय

रू क शा ह



शानOL

ति 87

देशा में

पाइप

87

टेशन पर

जाव और

11, 23.98

41

विदाएं है।

लोकतांत्रिक

प्रस्तावित

वेदराष्ट्र

